

**न्यायालय:-श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम,(म.प्र.)**

क्रमांक 33 / 2026

रतलाम, दिनांक- 24.04.2026

**रतलाम सिविल जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक
प्रकरणों से संबंधित
कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2026**

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्रमांक 355/गोपनीय/2026/दो-3-1/2026 दिनांक 05.04.2026 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश क्रमांक 359/गोपनीय/2026/दो-3-1/2026 दिनांक 05.04.2026 के द्वारा जिला मुख्यालय, रतलाम एवं तहसील जावरा/सैलाना पर पदस्थ मजिस्ट्रेटगण के स्थानांतरण होने से उत्पन्न हुई एवं अन्य परिस्थितियों को देखते हुये मैं, सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.) बी.एन.एस.एस. की धारा 12(1) एवं 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्य विभाजन पत्र आदेश क्रमांक 02/2026 दिनांक 10.01.2026 में पूर्व में हुये संशोधनों को समाहित करते हुये नवीन कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करती हूँ जो, **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम, (म.प्र.)** के अनुमोदन पश्चात से प्रभावशील रहेगा:-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका वितरण होगा।
1	श्रीमती सपना भारती कतरौलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम	1. संपूर्ण जिला रतलाम 2. आरक्षीकेन्द्र:- (क) स्टेशन रोड रतलाम (ख) आबकारी वृत्त "अ" के समस्त प्रकरण।	1- सभी आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित आपराधिक मामलों की खारिजी (ई.आर.)। (1) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र एवं खात्मा (एफ.आर.) (संबंधित आरक्षीकेन्द्र से उद्भूत परिवाद पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय, नगर पालिका निगम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां जो कि अन्यत्र कार्य विभाजन पत्र में वर्णित नहीं है। (3) आबकारी वृत्त "अ" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के मामले। (4) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन (सरफेसी अधिनियम) दिनांक 01 जनवरी 2026 से दिनांक 30 जून 2026 तक इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (5) रुपये 50,00,001/- से अधिक रुपये पचास लाख एक से अधिक रुपये के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के

सुमोदिन
25/4/26
Principal District & Session Judge
Ratlam (M.P.)

			मामलें।
		3. संपूर्ण तहसील रतलाम	(1) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के मामले, कंपनी अधिनियम के मामले। (2) दुकान संस्थान एवं नाप तौल अधिनियम के मामले। (3) भारतीय वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले।
		4. पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय राजस्व जिला रतलाम, मंदसौर एवं नीमच	ऐसे आर्थिक अपराध वाले मामले जो निम्न अधिनियम से संबंधित हों :— (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, (2) विदेशी व्यापार अधिनियम, (3) कंपनी अधिनियम, (4) धनकर अधिनियम, (5) दानकर अधिनियम, (6) आयकर अधिनियम, (7) सीमा शुल्क अधिनियम, (8) निर्यात अधिनियम, (9) कंपनी अतिकर अधिनियम, (10) एकाधिकार एवं अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम, (11) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (12) ऐसे समस्त प्रकरण जिनके संबंध में कार्य विभाजन में कोई व्यवस्था नहीं की गयी।
2	श्री अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:— 1. नामली 2. आबकारी वृत्त "स" के समस्त प्रकरण।	1. उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 2. उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 3. आबकारी वृत्त "स" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले। 4. रुपये 8,00,001/- से 9,00,000/- (आठ लाख एक से नौ लाख तक) एवं रुपये 25,00,001/- से 50,00,000/- (पच्चीस लाख एक से पचास लाख तक) के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 5. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
3	श्रीमती सपना शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:— 1. महिला थाना	(1) <u>थाना स्टेशन रोड, माणक चौक, औद्योगिक क्षेत्र, महिला थाना, दीनदयान नगर, बिलपांक, नामली, जी.आर.पी. व रतलाम शहर से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।</u>

			(2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 15,00,001/- से 20,00,000/- रुपये पंद्रह लाख एक से बीस लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (5) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन (सरफेसी अधिनियम) दिनांक 01 जुलाई 2026 से दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
4	श्री अनुपम तिवारी, (स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. शासकीय रेल्वे पुलिस थाना रतलाम 2. शासकीय रेल्वे सुरक्षा बल थाना, रतलाम	(1) भारतीय रेल्वे अधिनियम, 1980 तथा रेल्वे संपत्ति विधि विरोध कब्जा। (2) अधिनियम, 1956 के अधिनियम माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की अधिसूचना 12668/ तीन-6-30 दिनांक 20.9.1974 द्वारा विशिष्ट रेल्वे दण्डाधिकारी को सौंपे गये अधिकार स्तंभ में अंकित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों के अभियोग पत्र एवं समस्त प्रकरण तथा खात्मा प्रकरण। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
5	ग्राम न्यायाधिकारी, रतलाम	ग्राम न्यायालय	(1) तहसील रतलाम के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
6	—	संपूर्ण रतलाम क्षेत्र किशोर न्याय बोर्ड	किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत जिला रतलाम के समस्त आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र।
7	सुश्री सपना कनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षी केन्द्र:- 1. माणक चौक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 20,00,001/- से 25,00,000/- रुपये बीस लाख एक से पच्चीस लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

255-26
1005/55

8	श्री जितेन्द्र रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. डी.डी.नगर	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 9,00,001/- से 15,00,000/- रुपये नौ लाख एक से पंद्रह लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलों इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
9	श्री मनीष छापेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	1. उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 2. उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
10	श्रीमती रवीना चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. आबकारी वृत्त "ब" के समस्त प्रकरण।	(1) सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 3,00,001/- से 4,00,000/- (तीन लाख एक से चार लाख तक) के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामले इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र नामली, जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण। (4) आरक्षी केन्द्र नामली, जिला रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। (5) आबकारी वृत्त "ब" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले। (6) न्यायालय-सुश्री प्रगति असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम (रिक्त न्यायालय), से संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां इस न्यायालय में पेश की जावेगी।
11	श्री बृजेश कुमार राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. बिलपांक	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, द. प्र.सं. की धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, आवेदन पत्र (जिसमें वन अधिनियम व खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (3) रुपये 5,00,001/- से 6,00,000/- रुपये पांच

			लाख एक से छः लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) आरक्षी केन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे। (5) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रकरण।
12	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. यातायात एवं क्षेत्रीय परिवहन	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र(जिसमें ग्राम न्यायालय एवं वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) रुपये 4,00,001/- से 5,00,000/- रुपये चार लाख एक से पांच लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
13	श्री अरूण सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	आरक्षीकेन्द्र:- 1. आबकारी वृत्त "परगना" के समस्त प्रकरण।	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) नगर पालिक निगम से संबंधित मामले। (3) रुपये 50,001/- से 1,00,000/- रुपये पचास हजार एक से एक लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) आरक्षी केन्द्र माणक चौक, जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण। (5) आबकारी वृत्त "परगना" रतलाम से उद्भूत होने वाले शराब के समस्त मामले।
14	श्रीमती आकांक्षा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) आरक्षी केन्द्र माणक चौक से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
15	श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण। (3) रुपये 1,00,001/- से 2,00,000/- रुपये एक लाख एक से दो लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (4) आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उद्भूत समस्त

			परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
16	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम		(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 2,00,001/- से 3,00,000/- रुपये दो लाख एक से तीन लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र बिलपांक से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
17	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 6,00,001/- से 7,00,000/- रुपये छः लाख एक से सात लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र डी.डी. नगर जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
18	सुश्री रूपाली बिरला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 1 से 50,000/- रुपये एक से पचास हजार रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) आरक्षी केन्द्र बिलपांक जिला रतलाम से संबंधित खात्मा (एफ.आर.) प्रकरण।
19	सुश्री प्रीति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (2) रुपये 7,00,001/- से 8,00,000/- रुपये सात लाख एक से आठ लाख रुपये तक के 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलें इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। (3) <u>आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड एवं औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम से उत्पन्न होने वाले पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टिंग एक्ट 2007 से संबंधित मामले।</u> (4) आरक्षी केन्द्र डी.डी. नगर, रतलाम से उद्भूत समस्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाएंगे।
20	श्री अरुण सिंह अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. जावरा शहर 2. <u>आबकारी वृत्त</u> <u>तहसील जावरा</u> <u>(50 बल्क लीटर</u> <u>से अधिक एवं</u> <u>49-ए आबकारी</u> <u>अधिनियम के</u>	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस.

		<u>प्रकरण)</u>	(धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (5) आबकारी वृत्त तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर व उससे अधिक शराब के मामले तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।
21	—	ग्राम न्यायालय	(1) राजस्व तहसील जावरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित आपराधिक मामले।
22	श्री दिलीप पाटिल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. औद्योगिक क्षेत्र जावरा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा की 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (4) तहसील जावरा के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) वन अधिनियम एवं खनन खनन अधिनियम के मामले। (6) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)।
23	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	—	(1) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
24	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. बडावदा 2. रिंगनोद	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

25	सुश्री गरिमा अलावा परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. पिपलौदा 2. कालूखेडा	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
26	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	आरक्षी केन्द्र:- 1. महिला थाना (तहसील जावरा से संबंधित उत्पन्न समस्त महिलाओं के विरुद्ध अपराध) 2. आबकारी वृत्त तहसील जावरा के 50 बल्क लीटर से कम आबकारी अधिनियम के प्रकरण।	(1) तहसील जावरा के समस्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र रिंगनोद से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण। (5) आबकारी वृत्त तहसील जावरा से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले (धारा 49-ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)।
27	श्री तथागत याग्निक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षीकेन्द्र:- 1. सरवन 2. रावटी 3. आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर से कम आबकारी अधिनियम के प्रकरण (50 बल्क लीटर से कम)	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) आबकारी वृत्त तहसील सैलाना से उद्भूत होने वाले 50 बल्क लीटर से कम शराब के मामले (धारा 49-ए आबकारी अधिनियम को छोड़कर)। (5) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

28	श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षी केन्द्र:- 1. बाजना 2. महिला थाना	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें ग्राम न्यायालय, वन अधिनियम, खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। <u>(2) तहसील सैलाना के क्षेत्राधिकार से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर)।</u> (3) तहसील सैलाना के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (4) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
29	श्री मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	आरक्षी केन्द्र:- 1. शिवगढ़ 2. सैलाना 3. आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। <u>(3) आबकारी वृत्त तहसील सैलाना के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</u> (4) तहसील न्यायालय सैलाना से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्रों से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
30	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्र:- 1. महिला थाना	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। <u>(2) थाना आलोट, ताल, बरखेडा से संबंधित घरेलू हिंसा के मामले व महिलाओं से संबंधित अन्य प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। (ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के</u>

			प्रकरण छोड़कर)। (3) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (4) तहसील आलोट एवं तहसील ताल से संबंधित नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम एवं खनन अधिनियम के मामले। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (6) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय, समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
31	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्र:- 1. आलोट 2. बरखेड़ा 3. आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल (50 बल्क लीटर से अधिक एवं कम)। तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर.। (2) तहसील आलोट क्षेत्र के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले। (3) उक्त मामलों से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (4) तहसील आलोट के सभी मामले जो कि अन्य अधिनियम से संबंधित हैं। (5) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (6) आबकारी वृत्त तहसील आलोट एवं ताल के 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक तथा धारा 49-ए आबकारी अधिनियम के प्रकरण। (7) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय, समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
32	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	आरक्षी केन्द्र:- 1. ताल	(1) उक्त आरक्षीकेन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त मामले, धारा 193 बी.एन.एस.एस./धारा 173 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र एवं एफ.आर. (जिसमें नगर पालिका अधिनियम, वन अधिनियम तथा खनन अधिनियम के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। (2) उक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (3) उक्त आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच)। (4) सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।

नोट :-

1. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने पर प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को संदर्भित किया जावे।
2. इस कार्य विभाजन आदेश के पूर्व लंबित आपराधिक प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
3. किसी न्यायालय के अत्यावश्यक आपराधिक कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल माने जावेंगे:- रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी, वाहन सुपुर्दगी आवेदन पत्र धारा 451-457 दं.प्र.सं. / धारा 497, 503 बी.एन.एस.एस. का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रक्रिया का निराकरण एवं संक्षिप्त प्रक्रिया से विचारणीय नये अभियोग पत्र जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है, उन प्रकरणों का पंजीयन एवं निराकरण करना।
4. प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष (स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट, बाल न्यायालय व ग्राम न्यायालय के मामलों को छोड़कर) स्वीकारोक्ति की समरी का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा तथा ऐसा माना जायेगा कि समरी उनके क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत हुई है।
5. दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश सामान्य आदेश है जिसके पूरे सत्र खण्ड के कोई भी दाण्डिक मामले या कार्यवाही का संज्ञान लेने के समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां समाप्त नहीं होती। विशेष परिस्थितियों में वे पूरे सत्र खण्ड के किसी मामले या कार्यवाही को सीधे ग्रहण कर सकते हैं।
6. तहसील न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी यथा संभव अपने क्षेत्राधिकार के भीतर चलित न्यायालय का संपादन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से आदेश लेकर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को पूर्व सूचना देकर कर सकेंगे तथा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार भी चलित न्यायालय, न्यायालयीन समय प्रभावित किये बिना संचालित किया जा सकेगा।
7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुनवाई/क्षेत्राधिकार के मामलों में यह कार्य विभाजन पत्र प्रभावी नहीं होगा।
8. इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत जिन मजिस्ट्रेट के नए थाना/क्षेत्राधिकार आवंटित किये गये हैं, उन थानों से संबंधित लंबित रिमांड, सुपुर्दगी एवं अन्य पत्रावली अविलंब संबंधित नए क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को प्रेषित किये जावें।
9. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक अधिकारी के द्वारा जारी स्थाई वारंट उन्हीं न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किये जावेंगे।
10. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें **आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम को छोड़कर, संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम** के द्वारा संपादित किया जावेगा।
11. आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम से संबंधित उपरोक्त कार्यवाहियां (खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, वन अधिनियम, खनन अधिनियम तथा धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरणों को भी शामिल करते हुये) जिनमें अभिलेख की वापसी, रतलाम शहर के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण तथा अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं, **श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम** के द्वारा संपादित की जावेगी।
12. रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालय को छोड़कर) से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी, कमश: तहसील जावरा/सैलाना/आलोट के संपूर्ण बिना मियादी वारण्ट

जो वर्तमान पदस्थापित मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी नहीं है और पूर्व पीठासीन अधिकारी के कॉलम में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के प्रकरण का विचारण या अन्य समस्त कार्यवाहियां शामिल हैं, **उन्हें संबंधित आरक्षीकेन्द्र के क्षेत्राधिकार** वाले कमशः न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी जावरा/सैलाना/आलोट के द्वारा संपादित किया जावेगा।

13. आरक्षीकेन्द्र ए.जे.के. से संबंधित रिक्त न्यायालयों (ग्राम न्यायालयों को छोड़कर) की समस्त कार्यवाहियां जिनमें अभिलेख की वापसी एवं अन्य जे.एम.एफ.सी. न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, उन्हें **श्री मंगल परमार**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

14. धारा 125 (3) द.प्र.सं. (भरण पोषण से संबंधित) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण/आवेदन/कार्यवाहियां रतलाम शहर तहसील के ग्राम/क्षेत्र-संलग्न सूची क्रमांक 01, रतलाम ग्रामीण तहसील के ग्राम/क्षेत्र-संलग्न सूची क्रमांक 2 एवं नगर निगम, रतलाम की सीमाओं के क्षेत्राधिकार **को छोड़कर** शेष ग्राम/क्षेत्र संबंधित आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी तथा **आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम** की उक्त कार्यवाहियां **सुश्री वैशाली चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित की जावेगी।

15. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय के द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

16. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक/1295/सीजे-11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रकरण को धारा 364 बी.एन.एस.एस. (धारा 325 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।

18. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दशाए गए प्रभार सूची अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

19. कार्यविभाजन आदेश के पूर्व से न्यायालयों में महिलाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों से संबंधित अंतरिम वसूली आवेदन मूल प्रकरण के साथ संबंधित न्यायालय में ही पेश किये जायेंगे।

20. धारा 52-क एन.डी.पी.एस. की कार्यवाही के संबंध में प्रत्येक माह के किसी भी शनिवार को निम्न लिखित मजिस्ट्रेट न्यायालय में उक्त कार्यवाही करेंगे:-

रतलाम:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती आकांक्षा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	अप्रैल, नवम्बर 2026
2	श्री प्रवेश काबरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	मई, दिसम्बर 2026
3	श्रीमती रवीना चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जून 2026
4	श्री मंगल परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	जुलाई, अक्टूबर 2026
5	सुश्री वैशाली चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	अगस्त 2026

	रतलाम	
6	सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	सितम्बर 2026

जावरा:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्री अंकित भुजंग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	मई, जुलाई, सितम्बर 2026
2	सुश्री गरिमा अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	जून, अक्टूबर, नवम्बर 2026
3	सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	अप्रैल, अगस्त दिसम्बर 2026

सैलाना:-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	मई, अगस्त, नवम्बर 2026
2	श्री मोहित परसाई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	जून, सितम्बर, दिसम्बर 2026
3	श्री तथागत याग्निक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 2026

आलोट:-

क	नाम अधिकारी एवं पद	माह
1	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 2026
2	श्री गवेन्द्र सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	मई, अगस्त, नवम्बर 2026
3	श्रीमती समीक्षा सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	जून, सितम्बर, दिसम्बर 2026

21. यदि कोई मजिस्ट्रेटगण दिये गये उपरोक्त सूची अनुसार माह में उक्त दिन को अवकाश में रहते हैं तो उनका कार्य प्रभारी मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। इसके साथ ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण उन्हीं के द्वारा किया जावेगा।

22. सभी आरक्षीकेन्द्रों के मजिस्ट्रेट ट्रायल एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में एन.डी.पी.एस. से संबंधित मुद्देमाल का नष्टीकरण संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा।

23. जिला मुख्यालय रतलाम पर आरक्षीकेन्द्र से संबंधित धारा 196 बी.एन.एस.एस. (धारा 176(5) एवं धारा 176 (1-ए) द.प्र.सं. 1973) के अंतर्गत मृत्यु कारणों की जांच निम्नानुसार की जावेगी:-

कं.	आरक्षीकेन्द्र	वरिष्ठ मजिस्ट्रेटगण
1	आरक्षीकेन्द्र नामली एवं बिलपांक	श्री अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम
2	आरक्षीकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र एवं डी.डी. नगर	श्रीमती सपना शर्मा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला रतलाम
3	आरक्षीकेन्द्र महिला थाना, ए.जे.के. एवं जी. आर.पी./आर.पी.एफ	सुश्री सपना कनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम

4	आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड, रतलाम एवं माणक चौक	श्री जितेन्द्र रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रतलाम
---	--	---

नोट :-

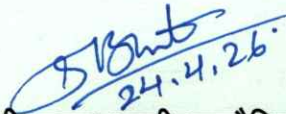
अ- मृत्यु जांच/न्यायिक जांच हेतु उपरोक्त दिये गये वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ एक कनिष्ठ मजिस्ट्रेट कमानुसार 1. श्री बृजेश कुमार राजपूत, 2. श्री विवेक माल, 3. श्री अरुण ठाकुर, 4. सुश्री प्रीति राठौर, 5. सुश्री अकांक्षा, 6. श्री प्रवेश काबरा, 7. सुश्री रवीना चौधरी 8. श्री मंगल परमार, 9. सुश्री वैशाली चौहान, 10. सुश्री रूपाली बिरला, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, रतलाम आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।

ब- उपरोक्त तालिका में दिये गये आरक्षीकेन्द्रों की मृत्यु जांच/न्यायिक जांच एक से अधिक बार प्रस्तुत होने पर उक्त जांच कॉलम नं. 03 में कमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण के द्वारा की जावेगी।

स- मृत्यु जांच/न्यायिक जांच में यदि किसी कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा माह में एक बार मृत्यु जांच/न्यायिक जांच में उपस्थित हुये हैं तो उसके पश्चात अगले कम में जो भी कनिष्ठ मजिस्ट्रेट है, वह उक्त जांच में सम्मिलित होंगे।

द- उपरोक्त तालिका में कोई वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में उपरोक्त कॉलम नं. 03 में कमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण मृत्यु जांच/न्यायिक जांच करेंगे एवं कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थित रहने की दशा में कं. "अ" में दिये कनिष्ठ मजिस्ट्रेट के अगले क्रम पर दिये मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेंगे।

य- उपरोक्त तालिका में दिये गये आरक्षीकेन्द्रों के अतिरिक्त जिला जेल, रतलाम में निरुद्ध अन्य स्थानों के सजायाफ्ता/विचाराधीन बंदी की मृत्यु जांच/न्यायिक जांच कॉलम नं. 03 में कमानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेटगण के द्वारा की जावेगी।


 24.4.26.
 (श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 रतलाम (म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026

अनुसूची कमांक – 01

उपरोक्त आदेश के अंतर्गत अवकाश के दिनों में या संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर शीघ्रतर कार्य के लिये सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट का अवकाश कार्य कॉलम नंबर 2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास तथा उनके अवकाश में रहने पर कॉलम नंबर 3 में, उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नंबर 4 में तथा उनके अवकाश में रहने पर कॉलम नंबर 5 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगा। तदनुसार व शीघ्रतर कार्य संपन्न करेंगे। रतलाम मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में अवकाश के दिनों में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण के शीघ्रतर प्रकृति के कार्य उस दिन रिमांड ड्यूटी में उपस्थित मजिस्ट्रेट कर सकेंगे।

1	2	3	4	5
श्रीमती सपना भारती कतरौलिया	श्रीमती सपना शर्मा	श्री अतुल यादव	श्री जितेन्द्र रावत	श्री विवेक माल
श्री अतुल यादव	श्रीमती सपना कनोडिया	श्री मंगल परमार	श्री अरुण ठाकुर	सुश्री प्रीति राठौर
श्रीमती सपना शर्मा	श्री अतुल यादव	श्री जितेन्द्र रावत	श्री मनीष छापरिया	सुश्री सपना कनोडिया
श्री अनुपम तिवारी	श्री मनीष छापरिया	श्रीमती सपना शर्मा	श्री मंगल परमार	श्री प्रवेश काबरा
श्रीमती सपना कनोडिया	श्री जितेन्द्र रावत	श्री प्रवेश काबरा	श्रीमती आकांक्षा	श्रीमती रवीना चौधरी
श्री जितेन्द्र रावत	श्रीमती सपना कनोडिया	श्री अरुण ठाकुर	सुश्री वैशाली चौहान	श्री प्रवेश काबरा
श्री मनीष छापरिया	श्री अतुल यादव	सुश्री रूपाली बिरला	श्री जितेन्द्र रावत	श्रीमती रवीना चौधरी
श्रीमती रवीना चौधरी	श्री विवेक माल	श्री अरुण ठाकुर	श्रीमती सपना कनोडिया	सुश्री रूपाली बिरला
श्री बृजेश कुमार राजपूत	श्री मंगल परमार	श्री प्रवेश काबरा	श्री मनीष छापरिया	श्री जितेन्द्र रावत
श्री विवेक माल	श्री प्रवेश काबरा	श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला
श्री अरुण ठाकुर	श्री बृजेश राजपूत	श्री विवेक माल	श्रीमती रवीना चौधरी	सुश्री प्रीति राठौर
श्रीमती आकांक्षा	श्रीमती रवीना चौधरी	सुश्री रूपाली बिरला	श्री अरुण ठाकुर	श्री प्रवेश काबरा
श्री प्रवेश काबरा	सुश्री रूपाली बिरला	श्री बृजेश कुमार राजपूत	सुश्री रूपाली बिरला	श्रीमती रवीना चौधरी
श्री मंगल परमार	श्री अरुण ठाकुर	श्रीमती रवीना चौधरी	सुश्री रूपाली बिरला	श्री प्रवेश काबरा

सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री प्रीति राठौर	श्री विवेक माल	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार
सुश्री रूपाली बिरला	सुश्री वैशाली चौहान	श्री अरुण ठाकुर	सुश्री प्रीति राठौर	श्रीमती रवीना चौधरी
सुश्री प्रीति राठौर	श्री मनीष छापरिया	सुश्री वैशाली चौहान	श्री बृजेश कुमार राजपूत	श्रीमती रवीना चौधरी

तहसील जावरा

श्री अरुण सिंह अलावा	श्री दिलीप पाटिल	सुश्री गरिमा अलावा	श्री अंकित भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर
श्री दिलीप पाटिल	श्री अरुण सिंह अलावा	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	सुश्री गरिमा अलावा	श्री अंकित भुजंग
श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर	सुश्री गरिमा अलावा	श्री अरुण सिंह अलावा	श्री दिलीप पाटिल
श्री अंकित भुजंग	सुश्री गरिमा अलावा	सुश्री शिवानी राठौर	श्री दिलीप पाटिल	श्री अरुण सिंह अलावा
सुश्री गरिमा अलावा	श्री अंकित भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर	श्री दिलीप पाटिल	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग
सुश्री शिवानी राठौर	श्रीमती ऋचा द्विवेदी भुजंग	श्री अंकित भुजंग	सुश्री गरिमा अलावा	श्री दिलीप पाटिल

तहसील आलोट

श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी	श्री गवेन्द्र सिसोदिया	श्रीमती समीक्षा सिंह	सुश्री गरिमा अलावा	सुश्री शिवानी राठौर
श्री गवेन्द्र सिसोदिया	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी	सुश्री शिवानी राठौर	सुश्री गरिमा अलावा
श्रीमती समीक्षा सिंह	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी	श्री गवेन्द्र सिसोदिया	सुश्री गरिमा अलावा	श्री अंकित भुजंग

तहसील सैलाना

श्री तथागत याग्निक	श्री मोहित परसाई	श्रीमती गार्गी शर्मा	श्री प्रवेश काबरा	श्री मंगल परमार
श्रीमती गार्गी शर्मा	श्री तथागत याग्निक	श्री मोहित परसाई	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री रूपाली बिरला
श्री मोहित परसाई	श्रीमती गार्गी शर्मा	श्री तथागत याग्निक	सुश्री रूपाली बिरला	सुश्री वैशाली चौहान

नोट :-

1. जावरा/सैलाना/आलोट में कार्यरत मजिस्ट्रेटों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक साथ मुख्यालय से बाहर बिना पूर्वानुमति के नहीं जाएंगे।
2. मजिस्ट्रेटगण से अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व लिखित रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं अपने लिंक ऑफिसर को भी उसकी लिखित रूप से सूचना प्रदान करेंगे।

3. आवश्यक कार्य से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपराध का संज्ञान लेना सम्मिलित होगा, किंतु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उक्त प्रभार में अत्यावश्यक होने पर (अत्यावश्यक) का कारण प्रभारी न्यायालय आदेश पत्रिका में उल्लेखित करेंगे। संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अपराधों का संज्ञान लेने के अधिकार प्रभारी अधिकारी (कमानुसार) होंगे। उक्त आदेश से अन्यथा किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार के अपराध का संज्ञान अन्य न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूची क्रमांक 01 अनुसार प्रभारी के रूप में सामान्य रूप से कार्य संपादित किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में यदि अनुसूची 01 में वर्णित कोई भी प्रभारी अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर रतलाम न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य जावरा न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, जावरा न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य रतलाम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, आलोट न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य जावरा न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, सैलाना न्यायालय का अतिआवश्यक कार्य रतलाम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किया जावेगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से तात्पर्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय व स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट को छोड़कर अन्य वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से है।
5. प्रभारी न्यायाधीश के अवकाश या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर अनुसूची क्रमांक 01 अनुसार अग्रिम पंक्ति के प्रभारी के द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।
6. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम के मुख्यालय पर उपस्थित रहने पर किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम का कार्य अधिनियम अनुसार उनके द्वारा ही संपादित किया जावेगा, उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य सर्वप्रथम किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यगण द्वारा देखा जावेगा। यदि किसी कारणवश प्रधान मजिस्ट्रेट अवकाश पर या अन्य किसी कारण से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं तथा सदस्यगण का पद रिक्त रहता है, तब किशोर न्यायबोर्ड, रतलाम का अत्यावश्यक कार्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी, रतलाम के द्वारा संपादित किया जावेगा:-

श्री मनीष छापरिया	सुश्री आकांक्षा	श्री मंगल परमार	सुश्री वैशाली चौहान
-------------------	-----------------	-----------------	---------------------


 (श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 रतलाम (म.प्र.)

दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2026

अनुसूची क्रमांक-2

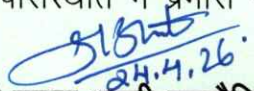
धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लिपिबद्ध किये जाने हेतु

कं.	क्षेत्राधिकार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम प्रथम प्रभार	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम द्वितीय प्रभार
1	आरक्षीकेन्द्र माणक चौक	श्रीमती रवीना चौधरी	सुश्री आकांक्षा
2	आरक्षीकेन्द्र बिलपांक	सुश्री आकांक्षा	सुश्री प्रीति राठौर
3	आरक्षीकेन्द्र स्टेशन रोड़, नामली रतलाम	सुश्री रूपाली बिरला	श्रीमती रवीना चौधरी
4	आरक्षीकेन्द्र ए.जे.के., डी.डी. नगर	सुश्री प्रीति राठौर	सुश्री वैशाली चौहान
5	आरक्षीकेन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, रतलाम	सुश्री वैशाली चौहान	सुश्री सपना कनोडिया
6	आरक्षीकेन्द्र महिला थाना, जी.आर.पी.,आर.पी.एफ. रतलाम	सुश्री सपना कनोडिया	सुश्री रूपाली बिरला
तहसील जावरा			
1	आरक्षीकेन्द्र जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र, जावरा	सुश्री गरिमा अलावा	सुश्री शिवानी राठौर (महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
2	आरक्षीकेन्द्र पिपलौदा, कालूखेड़ा	श्री अंकित भुजंग	सुश्री शिवानी राठौर (महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
3	आरक्षीकेन्द्र रिंगनोद, बड़ावदा	सुश्री शिवानी राठौर (महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)	श्री अंकित भुजंग (आरक्षीकेन्द्र बड़ावदा, रिंगनोद के जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
तहसील आलोट			
1	आरक्षीकेन्द्र आलोट, बरखेड़ा	श्रीमती समीक्षा सिंह	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी (आरक्षीकेन्द्र आलोट, बरखेड़ा के महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)
2	आरक्षीकेन्द्र ताल	श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी (आरक्षीकेन्द्र ताल के महिलाओं से संबंधित जे.एम.एफ.सी. ट्रायल प्रकरणों को छोड़कर)	श्री गवेन्द्र सिसोदिया

तहसील सैलाना			
1	आरक्षीकेन्द्र सैलाना, शिवगढ़	श्री तथागत याग्निक	श्रीमती गार्गी शर्मा
2	आरक्षीकेन्द्र रावटी, सरवन	श्री मोहित परसाई	श्रीमती गार्गी शर्मा
3	आरक्षीकेन्द्र बाजना	श्री तथागत याग्निक	श्री मोहित परसाई

नोट—

1. चूंकि महिलाओं से संबंधित चल रहे प्रकरणों की त्वरित गति से सुनवायी किये जाने हेतु रतलाम में श्रीमती सपना शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना में श्रीमती गार्गी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट में श्रीमती अनुप्रिया पाराशर त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं तहसील जावरा में सुश्री शिवानी राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को अधिकृत किया गया है। यह अधिकारीगण महिलाओं से संबंधित ऐसे प्रकरणों में जिनमें उनके न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत/विचारण नहीं होना है, धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 दप्रस के कथन ले सकेंगे। अन्य प्रकरण जिनके अभियोग पत्र इन न्यायालयों में प्रस्तुत होना है उनके धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 दप्रस के कथन द्वितीय प्रभारी के द्वारा लिये जावेंगे।
2. **जिला न्यायालय, रतलाम** में धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु अनुसूची कं. 2 के कॉलम नं. 1 में कं. 1 से 7 में उल्लेखित आरक्षीकेन्द्रों के प्रथम प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण माह के प्रथम 15 दिवस (1 से 15) एवं द्वितीय प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण माह के द्वितीय 15 दिवस (16 से 30/31) में कथन लिये जावेंगे। यदि प्रथम प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण उक्त अवधि में अवकाश पर रहते हैं तो द्वितीय प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण कथन लेंगे और द्वितीय प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण उक्त अवधि में अवकाश पर रहते हैं तो प्रथम प्रभार वाले मजिस्ट्रेटगण द्वारा कथन लिये जावेंगे। यदि उक्त अवधि में दोनों मजिस्ट्रेटगण अवकाश पर रहते हैं तो द्वितीय मजिस्ट्रेटगण के क्रमशः प्रभारी मजिस्ट्रेटगण द्वारा उक्त कथन अंकित किये जावेंगे।
3. द्वितीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार जिस मजिस्ट्रेट के पास रहेगा वे इस कार्य को संपादित करेंगे और यदि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पद पर उपस्थित है एवं जो थाना उनके क्षेत्राधिकार में है यदि उससे संबंधित केस डायरी धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 द.प्र.सं. के कथन दर्ज करने बाबत उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वे उस कार्य को संपादित नहीं करते हुए अन्य उपस्थित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा वह कार्य संपन्न किया जावेगा।
4. किसी अधिकारी के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने से धारा 183 बी.एन.एस.एस./धारा 164 दप्रस के कथन हेतु प्रभारी अधिकारी के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत होने पर, यदि संबंधित आरक्षी केन्द्र कार्यविभाजन आदेशानुसार उसी प्रभारी न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का हो, किंतु अपराध की प्रकृति इस प्रकार की है कि अभियोग पत्र उस प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होना है, तब उस परिस्थिति में प्रभारी न्यायाधीश कथन ले सकेंगे।


 (श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय मान. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रतलाम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश महोदय एवं समस्त श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण महोदय, रतलाम/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण रतलाम/सैलाना/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित।
5. जिला दण्डाधिकारी, कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, रतलाम की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, रतलाम की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, रतलाम/जावरा/आलोट/सैलाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला अभियोजन अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारीगण रतलाम/सैलाना/जावरा/आलोट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. सांख्यिकी विभाग, जिला न्यायालय, रतलाम की ओर से सूचनार्थ प्रेषित।
10. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय, रतलाम की ओर संबंधित कोई ई-मेल पर प्रेषित करने हेतु पालनार्थ।


(श्रीमती सपना भारती कतरौलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रतलाम (म.प्र.)